17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2017 रिव्यू-753-I/17

श्रीमती ओमवती पत्नी श्री रामगोविन्द सिकरवार, निवासी ग्राम पिपरसाना, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)
— आवेदक

विरूद्ध

ब्रजमोहन पुत्र श्री रामजीत, निवासी गड़रोली, तहसील गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)
— अनावेदकगण

द्वारा आज दि. प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–संहिता, 1959 विरूद्ध अपील क्रमांक 1506–एक/2010 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध

श्रीमान् जी,

आवेदिका की ओर आवेदन पत्र निम्न प्रकार है:–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि ग्राम पिपरसाना, तहसील गोहद, जिला भिण्ड में स्थिति भूमि सर्वे क्रमांक 3697 रकबा 0.419 है0 एवं सर्वे क्रमांक 3698 रकबा 0.250 है0 चरनोई भूमि पर आवेदिका का लगभग 20 वर्षो से कृषि कार्य करती चली आ रही है, दिनांक 01.09.2010 को कृषि कार्य करने से अनावेदक द्वारा रोके जाने पर जानकारी हुयी कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 28.11.2002 को अवैध एवं मनमाने पूर्ण तरीके से अनावेदक को पट्टा प्रदाय कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 290/2009–10 अपील प्रस्तुत की गयी, जो बगैर जॉच व सभी बिन्दुओं पर निराकरण किये बगैर सरसरी तौर पर दिनांक 28.09.2010 से निरस्त कर दी गयी, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 1506–एक/2010 दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 753–एक/2017 जिला–भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील 1506–एक/10 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 753–एक/2017 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक अपील 1506–एक/2010 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 06.02.2017 से किया जा चुका है।	

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य